रजिस्टर्ड

प्रेषक,

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पंचकुला।

सेवा में

1. राज्य के सभी मौलिक शिक्षा अधिकारी।
2. सभी प्राचार्य डाईट/गैटी।
3. निदेशक, स्कूल शिक्षा, चण्डीगढ प्रशासन, चण्डीगढ।

यादी कमांक 15/66–2010 HRM-II-(3)
दिनांक, पंचकुला। 11/9/12

विषयः– मिडल हेड (मौलिक विद्यालय) के पद पर पदोन्नति हेतु केस भेजने बारे।

–0–

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के यादी कमांक 15/66–2010 HRM-II-(3) दिनांक 10.05.2012 तथा स्मरण पत्र दिनांक 01.06.2012, 14.06.2012, 03.08.2012, 08.08.2012 तथा 23.08.2012 के सन्दर्भ में।

सरकार द्वारा मु0अ0 मौलिक विद्यालय के 5548 पदो की संरचना की गई है। जिन्हें इनके सेवा नियमों में वर्णित प्रावधान अनुसार सभी 5548 पदो को पदौन्नति के माध्यम से भरा जाना है।

पदौन्नति द्वारा भरे जाने की दशा में उपरोक्त अंकित TGT/Hindi Teacher/Sanskrit Teacher/Punjabi Teacher. की शैक्षणिक योग्यता सेवा नियम के परिशिष्ठ 'ख' अनुसार निम्न निर्धारित की गई है।

1. बी0ए0/बी0एस0सी0 और मौलिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा; अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ बी0ए0/बी0एस0सी0 और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी0एंड0);

   अथवा

   कम से कम 45 प्रतिशत अंको के साथ बी0ए0/बी0एस0सी0 और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी0एड0) जो इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और किया विधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो; अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और चार वर्षीय मौलिक शिक्षा में स्नातक (बी0एल0एड0); या

   कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और चार वर्षीय बी0ए0एड0; अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0ए0/बी0एस0सी0 और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (विशेष शिक्षा);

2. हिन्दी अध्यापक/संस्कृत अध्यापक/पंजाबी अध्यापक/टी0जी0टी0 के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;

यहां यह भी व्यक्त किया जाता है कि यह पद श्रेणी–(iii) (Non Gazetted) में आते हैं इसलिए सरकार की आरक्षण नीति अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग को पदोन्नति में 20% आरक्षण का लाभ दिया जाना है सेवा नियमों के परिशिष्ठ 'ख' में पदोन्नति के कालम एक के पैरा नं0–2 की व्याख्या इस प्रकार है कि वर्ष 2009 से पूर्व बी0एड0 पास नियुक्त अध्यापक जिन्होनें 45 प्रतिशत या इससे अधिक अंको तथा सेवा नियमों के नोट (iv) के अनुसार एस0सी0 वर्ग में 45 प्रतिशत के आधार पर छूट प्रदान करते हुए 42.75 प्रतिशत या इससे अधिक अंको के साथ उत्तीर्ण बी0ए0/बी0एस0सी0 अध्यापक मिडल हैड के पद पर पदोन्नति के पात्र बनते है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति अनुसारः–

कमांक	काडर	कैटगरी	नियमित नियुक्ति तिथि
1	मास्टर वर्ग	समान्य	दिनांक 31.12.99 तक नियमित आधार पर नियुक्त अध्यापक जो उपरोक्त अंकित निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हैं उन सभी के केसिज।
		अनुसूचित जाति	पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले अध्यापक जो इस पद की निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हैं उन सभी के केसिज।
2	सी0एन्ड0वी0 हिन्दी	समान्य एवमं अनुसूचित जाति	पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले अध्यापक जो इस पद की निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हैं उन सभी के केसिज।
3	सी0एन्ड0वी0 संस्कृत	समान्य एवमं अनुसूचित जाति	पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले अध्यापक जो इस पद की निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हैं उन सभी के केसिज।
4	सी0एन्ड0वी0 पंजाबी	समान्य एवमं अनुसूचित जाति	पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले अध्यापक जो इस पद की निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हैं उन सभी के केसिज।

अतः अनुरोध है कि पदौन्नति हेतु उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में केस तैयार करके सभी योग्य अध्यापक एवं सी0एन्ड0वी0 वर्ग की निजि मिसल एवं उनके विरूद्ध विभागीय जांच/शिकायत व नियम–7 की कार्यवाही लम्बित न होने का प्रमाण पत्र सम्बधित DEEO/Principal आदि से प्रमाणित करवाते हुए सभी पूर्ण केस निदेशालय में विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 21.09.2012 तक हर अवस्था के अपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक मास्टर
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।